भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2535
09 जुलाई, 2019 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में भारत का हिस्सा

2535. श्री गौतम गंभीर:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) में भारत का कुल हिस्सा कितना है;
(ख) क्या सरकार का विचार विश्व विशेषकर पड़ोसी देशों में भारत का हिस्सा बढ़ाने का है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या भारत ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास हेतु विकसित देशों से सहायता मांगी है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): विश्व में अधिकांश कृषि एवं समुद्री उपज/उत्पादों के उत्पादन में भारत पहले तीन स्थानों में है जिसमें से प्रमुख हैं; भैंस के दूध (70.27%), भैंस के दूध का घी (79.41%), गाय के दूध का घी और मक्खन (57.18%), भैंस का मांस (42.17%) में प्रथम और चावल/धान (21.43%), गेहूं (12.48%), आलू (11.62%), सूखा प्याज (20.84%), टमाटर (10.39%), चाय (21.03%) और मछली (7%) में दूसरा स्थान । भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र 6.76% के प्रसंस्करण स्तर के साथ एक उदीयमान क्षेत्र है तथापि, वैश्विक खाद्य निर्यात में इसका हिस्सा केवल 2.31% है ।

(ख) और (ग): सरकार, प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विनिर्माण क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण के हिस्से को बढ़ाने के लिए और अन्य के साथ-साथ प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को गति देने के लिए तथा खाद्य प्रसंस्करण की संपूर्ण मूल्य/आपूर्ति श्रंखला के साथ-साथ मजबूत आधुनिक अवसंरचना सुनिश्चित करते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की समग्र वृद्धि एवं विकास हेतु प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत कई केंद्रीय क्षेत्र स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है । सरकार ने कई नीतिगत पहल जैसे कि खाद्य उत्पादों के विनिर्माण में स्वत: अनुमोदन के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति देना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वहनीय क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में 2000 करोड़ रुपए के विशेष कोष का गठन करना, खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण यूनिटों एवं कोल्ड चेन को प्राथमिकता क्षेत्र उधारी (पीएसएल) हेतु कृषि कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत करना, अधिकांश खाद्य पदार्थों के लिए माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की दरें कम करना, नई खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों हेतु लाभ पर आयकर से 100% छूट, 100 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाले किसान उत्पादक संगठनों को कृषि में फसलोत्तर मूल्यवर्धन जैसे कार्यकलापों से प्राप्त लाभ पर आयकर से 100% छूट, शीत श्रृंखला अवसंरचना में निवेश पर आयकर की गणना के लिए व्यय पर 100% की कटौती को अनुमति देना, परियोजना आयात लाभ स्कीम के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी के लिए रियायती आयात शुल्क, अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत कच्ची सामग्री के आयात पर आयात शुल्क से छूट इत्यादि भी की हैं ।

(घ) और (ङ): सरकार ने विकसित देशों से कोई सहायता नहीं मांगी है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पूरे विश्व से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए भारत की क्षमता और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसरों को प्रदर्शित करने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनात्मक कार्यकलापों का आयोजन कर रहा है और उसमे भाग ले रहा है । इसके लिए मंत्रालय ने 3-5 नवम्बर, 2017 के दौरान एक मेगा अंतर्राष्ट्रीय मेले, वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 का आयोजन किया था ।

*****